कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली

–नीलाम सूचनाः–

जिला पंचायत, चन्दौली के प्रबन्धाधीन गंगा नदी, कर्मनाशा नदी एवं चन्द्रप्रभा नदी पर स्थित निम्नलिखित नौका घाट वर्ष 2016–17 की नीलामी/पट्टा की कार्यवाही नादर्न इण्डियन फेरिज एक्ट 1878 एवं शासनादेशानुसार दिनांक–16.09.2016 दिन में समय 12.00 बजे कार्यालय जिला पंचायत, चन्दौली मे की जायेगी। इच्छुक समितियां को अपने समिति से सम्बन्धित अभिलेख आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में जमा कर दे। बोली समितियों/मल्लाह जाति के लोगों के न होने की दशा में सामान्य जाति के लोग भी बोली में भाग ले सकते है। जमानत की धनराशि गंगा नदी के प्रत्येक नौका घाट के लिए मु0 10000.00 (दस हजार) रू0 एवं कर्मनाशा व चन्द्रप्रभा नदी पर स्थित प्रत्येक नौका घाट के लिए जमानत धनराशि मु0 500.00 (पांच सौ) रू0 होगी। अन्तिम बोली/पट्टा स्वीकार करने का अधिकार आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी को होगा। उच्चतम बोली दाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी तथा उक्त घाटो की नीलामी न होने की दशा में आगामी प्रत्येक सप्ताह के बुद्धवार (कार्य दिवस) को होता रहेगा। अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखी व पढ़ी जा सकती है। जिला पंचायत के बकायेदार बोली में भाग नही ले पायेगें।

1. गंगा नदी स्थित नौका घाट– कैली महड़ौरा, कुण्डा तातेपुर, नरौली, फुलवरिया, अमादपुर।
   अवधि 01.10.2016 से 30.09.2017 तक।
2. कर्मनाशा/चन्द्रप्रभा नदी पर स्थित नौका घाट–गौडिहार मवैया, सिकन्दपुर, बुढ़नवां, दिया, कादिर, खरीद, हिनउत, कोठी।
   अवधि 01.01.2016 से 31.12.2016 तक।

(अशोक कुमार मद्धेशिया)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, चन्दौली।

(सरिता सिंह)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत, चन्दौली।

पृ0सं0– 3193/जि0पं0चं0/नौ0घा0/2016–17 तद्दिनांक– 8-9-16

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 अध्यक्ष, जिला पंचायत, चन्दौली।
2. जिलाधिकारी महोदय, चन्दौली।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, चन्दौली को इस अनुरोध के साथ कि उक्त नीलाम सूचना को जनपद के N.I.C. की वेब–साईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
4. विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र–दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचना का विज्ञापन अपने समाचार पत्र में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रेषित करें।
5. समस्त कर निरीक्षक/कर समाहर्ता, जिला पंचायत को इस निर्देश के साथ कि व्यापक प्रचार–प्रसार करायें।
6. जिला पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, चन्दौली।